फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती सोसर बलाई — बनाम — विपक्षी : श्री कन्ना व अन्य

किस्म मुकदमा – 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — पत्रावली संख्या : 05/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 13.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 4 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त साबिक आराजी न. 367, 368, 369, 370, 371 किता 5 रकबा 10 बिघा 5 बिस्वा भूमि मांगिया पिता नगजी बलाई खातेदारी एवं अधिकार थी जो मांगिया पिता नगजी बलाई की विरासत के नामान्तरण संख्या 341 से कना, प्यारा पिता मांगिया के नाम दर्ज हुई जिसके नवीन सेटलमेंट के बाद नये आराजी न. 162, 163, 164, 165, 166, 167 बने। यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैतृक भूमि है जो मांगिया पिता नगजी के नाम दर्ज रेकर्ड थी तथा उनके निधन के बाद प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 3 पुत्री एवं विपक्षी संख्या 1, 2 पुत्र है। यह कि खातेदार मांगिया जी के निधन के बाद उक्त भूमि उनके दोनो पुत्र विपक्षी संख्या 1 व 2 व दोनो पुत्रिया प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 में हिस्से बराबर से निहित हुई लेकिन विपक्षी संख्या 1, 2 ने गलत तरिके से अपने नाम दर्ज करा ली जबकि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का संयुक्त हक हिस्सा, कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम उनके हक हिस्से से ज्यादा का अंकन होने से अजनबी क्रेता को हस्तान्तरित करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि के साबिक आराजी न. 367, 368, 369, 370, 371 किता 5 रकबा 10 बिघा 5 बिस्वा खातेदार मांगिया पिता नगजी बलाई के नाम दर्ज थी जो जमाबंदी सम्वत् 2036–39 से स्पष्ट है। उक्त साबिक आराजी न. नामान्तरण संख्या 341 से विपक्षी संख्या 1 से 2 के नाम अंकित हुई। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि होने का कथन कहा है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है या नहीं इस बात को मूल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रार्थनाग्रस्त साबिक आराजी न. 367, 368, 369, 370, 371 किता 5 रकबा 10 बिघा 5 बिस्वा खातेदार मांगिया पिता नगजी बलाई के नाम दर्ज होने से प्रार्थीया के कथन को बल मिलता है। अतः प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हित निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। जिससे किसी प्रकार के मौके व रेकर्ड में परिवर्तन से बचा जा सके। अन्य बिन्दुओं का मुल वाद में साक्ष्य सबुत के आधार पर तय किया जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन का बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा खडोदा पटवार हल्का बरोडिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सवत् 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 35 की आराजी नम्बर 162, 167 किता 2 रकबा 1.1200 हैक्टयर भूमि, परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 188 की आराजी नम्बर 164, 165, 166 किता 3 [illegible] व परिशिष्ट (ग) की खाता संख्या नया 32 की आराजी नम्बर 163 किता 1 रक[illegible]0 हैक्टयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके [illegible] यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.09.16 14:51:49 IST
Reason: SelfAttested